

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
लोक निर्माण/नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/
पंचायती राज/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
उ०प्र० शासन।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक: 13, जून, 2019

विषय-अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 यथासंशोधित, 2018 के प्राविधानों के अनुरूप प्रदेश में अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग सड़क निर्माण में किये जाने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत निर्देश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर पर्यावरण अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1684 / 55-पर्या-1-18-27(पर्या) / 2015 दिनांक 19.11.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.03.2016 द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 अधिसूचित किये गये हैं, जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हैं। तदोपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.03.2018 द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2018 अधिसूचित किये गये हैं, जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त हैं।

प्रदेश में अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रबन्धन अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 यथासंशोधित के प्राविधानों के अनुरूप कराया जाना अनिवार्य है। प्रदेश में जनित अपशिष्ट प्लास्टिक के नियमानुसार समुचित पृथक्करण, एकत्रण, भण्डारण, परिवहन एवं निस्तारण हेतु विहित प्राधिकारी नगर विकास विभाग एवं ग्राम पंचायत है। उक्त के सम्बन्ध में अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 यथासंशोधित, 2018 के नियम 12 के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी के दायित्व निम्नवत् निर्धारित है -

" **12. Prescribed authority.-** (1) The State Pollution Control Board and Pollution Control Committee in respect of a Union territory shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to registration, manufacture of plastic products and multilayered packaging, processing and disposal of plastic wastes.

(2) The concerned Secretary-in-charge of Urban Development of the State or a Union Territory shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to waste management by waste generator, use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and multilayered packaging.

(3) The concerned Gram Panchayat shall be the authority for enforcement of the provisions of these rules relating to waste management by the waste generator, use of plastic carry bags, plastic sheets or like, covers made of plastic sheets and multilayered packaging in the rural area of the State or a Union Territory.

(4) The authorities referred to in sub-rules (1) to (3) shall take the assistance of the District Magistrate or the Deputy Commissioner within the territorial limits of the jurisdiction of the concerned district in the enforcement of the provisions of these rules."

उत्तर प्रदेश राज्य में जनित अपशिष्ट प्लास्टिक की मात्रा लगभग 206000 टन/वर्ष (दो लाख छः हजार टन/वर्ष) आंकलित की गई है। प्लास्टिक अपशिष्ट के सुरक्षित एवं नियमानुसार निस्तारण हेतु प्रदेश में पर्याप्त क्षमता के रिसाइक्लिंग संयंत्र स्थापित नहीं हैं एवं अपशिष्ट प्लास्टिक का समुचित पृथक्करण एवं निस्तारण नहीं हो पाने के कारण अपशिष्ट प्लास्टिक के असुरक्षित निस्तारण से प्रदेश के पर्यावरण, मृदा, वायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबन्धन नियम, 2016 के नियम-5(1)(ख) के अन्तर्गत अपशिष्ट प्लास्टिक के सुरक्षित निस्तारण के लिए निम्नानुसार प्राविधानित है -

5. Plastic waste management.-

(b) local bodies shall encourage the use of plastic waste (preferably the plastic waste which cannot be further recycled) for road construction as per Indian Road Congress guidelines or energy recovery or waste to oil etc. The standards and pollution control norms specified by the prescribed authority for these technologies shall be complied with.

अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रयोग सड़क निर्माण में किये जाने के संबंध में भारतीय रोड कांग्रेस द्वारा प्रकाशित IRC:SP:98-2013 "Guidelines for the use of waste plastic in hot bituminous mixes (Dry Process) in wearing courses" द्वारा प्लास्टिक वेस्ट का प्रयोग सड़क निर्माण में किये जाने के संबंध में गाइडलाइन (प्रति संलग्न) निर्धारित की गयी है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक के समुचित प्रबन्धन के लिए Consolidated Guidelines for Segregation, Collection and Disposal of Plastic Waste प्रकाशित की गई है (प्रति संलग्न)। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा जारी उपरोक्त गाइडलाइन्स में **Salient Features of Polymer-Bitumen Road** निम्नवत् हैं -

- Stronger road with increased Marshal Stability Value.
- Better resistance towards rain water and water stagnation.
- No stripping and no potholes.
- Increased binding and better bonding of the mix.
- Reduction in pores in aggregate and hence less rutting and raveling.
- For 1km x 3.75m road, 1 ton of plastic is used, which leads to saving of 1 ton of bitumen.
- Cost of road construction is decreased due to saving of bitumen.
- Value addition to the waste plastics.

अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रयोग सड़क निर्माण में किये जाने से जहां एक तरफ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन की स्थिति में सुधार आयेगा वहीं उक्त के साथ-साथ प्रदेश में भारतीय रोड कांग्रेस की गाइडलाइन्स के अनुरूप सड़क निर्माण भी सम्भव होगा। अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रयोग सड़क निर्माण में किये जाने के लिए निर्माण संस्थाओं यथा लोकनिर्माण विभाग आदि द्वारा **Schedule of Rates** (दरों की अनुसूची) में अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रयोग किये जाने हेतु मटेरियल्स की दरों को सम्मिलित किये जाने हेतु **Schedule of Rates** में संशोधन आवश्यक होंगे।

3- उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत पर्यावरण अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19.11.2018 के अनुक्रम में प्रदेश में अपशिष्ट प्लास्टिक का नियमों के विरुद्ध निस्तारण रोके जाने एवं जनमानस को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग सड़क निर्माण में किये जाने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 सपठित अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 यथासंशोधित, 2018 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 यथासंशोधित, 2018 के प्राविधानों के अनुरूप प्रदेश में प्लास्टिक अपशिष्ट जो प्रधानतः रिसाइकिल योग्य नहीं है, का प्रयोग सड़क निर्माण परियोजना में अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित कराया जाए।
2. अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रयोग सड़क निर्माण में किये जाने के लिए Schedule of Rates (दरों की अनुसूची) में अपशिष्ट प्लास्टिक का प्रयोग किये जाने हेतु मटेरियल्स की दरों को सम्मिलित किया जाए।
3. प्लास्टिक अपशिष्ट जो प्रधानतः रिसाइकिल योग्य नहीं है, का प्रयोग सड़क निर्माण परियोजना में भारतीय रोड कांग्रेस द्वारा प्रकाशित IRC:SP:98-2013 "Guidelines for the use of waste plastic in hot bituminous mixes (Dry Process) in wearing courses" के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए।
4. प्लास्टिक अपशिष्ट जो प्रधानतः रिसाइकिल योग्य नहीं है, का प्रयोग सड़क निर्माण परियोजना में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक के समुचित प्रबन्धन के लिए बनायी गई Consolidated Guidelines for Segregation, Collection and Disposal of Plastic Waste के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(कल्पना अवस्थी)

प्रमुख सचिव

संख्या-575/55-पर्या-1-2019-27(पर्या)/2015 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)

अनु सचिव।